

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



LSG/BEA WAR/FIRENOC/2023-24/25664

श्री/श्रीमती:
का नाम
का पता:

NH 8 GOPAL SAGAR AJMER ROAD BEAWAR

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके बाबत
DELHI PUBLIC SEC SCHOOL, NH 8, GOPAL S

DELHI PUBLIC SEC SCHOOL, NH 8, GOPAL SAGAR, AJMER ROAD BEAWAR, AJMER, निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) पत्र जारी किया जाता है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
यदि वे रनरल स्टाफ व सिविलीयिटी गार्डर को वर्ष में कम से कम दो बार अभिरक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया आवश्यक होगा।

प्रमाणित उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।

श्रवण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

ए. राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।

एक व मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं रहे।
एक जो कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।

जो के एक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फ़ायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को प्य होंगे।

यदि सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर केंद्र का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।

शहर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।

नव के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।

दो लेटर व दो रस्सा भवन के सभी छपर में छपर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।

ए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।

नहीं व मरण संघटित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र वतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस याचक को स्वयं उत्तरदायी होगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र स्फुटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
 को दिया जा रहा है वहां पर स्फुटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: Kapil Gora
Issuing Authority: DCEO, Commissioner
Location: BEAWAR, Rajasthan
Date: 14/03/2024 15:52:15

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, व्यावर